नम्बर मुकदमा 506/2017
सरकार बनाम हरजिन्द्रसिंह

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :-यशपाल आहुजा आर.ए.एस.

अनवानः-प्रार्थना पत्र संख्या 506/2017

स्टटे ऑफ राजस्थान तहसीलदार (राजस्व)श्री गंगानगर (राज.) ....प्रार्थी

बनाम

1. हरजिन्द्रसिंह पुत्र हरदत्त सिंह जाति जटसिख सा.8 क्यू तहसील व जिला श्रीगंगानगर
2. जसवीरकौर पत्नी बलवन्तसिंह जाति जटसिख सा.8 क्यू तहसील व जिला श्री गंगानगर
3. परमजीत कौर पुत्री बलवन्तसिंह जाति जटसिख सा.8 क्यू तहसील व जिला श्री गंगानगर
4. भरपुरसिंह पुत्र बलवन्तसिंह जाति जटसिख सा.8 क्यू तहसील व जिला श्री गंगानगर
5. त्रिलोचनसिंह पुत्र बलवन्तसिंह जाति जटसिख सा.8 क्यू तहसील व जिला श्री गंगानगर ....अप्रार्थी

-::उपस्थित::-

1. पैरोकार राज .....प्रार्थी
2. श्री ऋषिपाल जोशी अभिभाषक ....अप्रार्थी

-:निर्णयः-

तहसीलदार (राजस्व) श्री गंगानगर ने यह प्रार्थना प्रत्र अन्तर्गत धारा 136 भू.राजस्व आधिनियम के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत कि गयी है।

अपील ज्ञापन अनुसार प्रकरण के सुसंगत तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि:—

अप्रार्थी के नाम चक 8 क्यू पटवार क्षेत्र बख्ताना तहसील व जिला श्री गंगानगर के खाता स. 83 के मु.न. 15 में 2.480 है. व मु.न. 20 में 0.379 है. कुल 2.859 है. नहरी मय खाला भूमि— हरजिन्द्रसिंह पुत्र हरदत्तसिंह 1.360 है. जसवीरकौर पत्नी बलवन्तसिंह परमजीत कौर पुत्री बलवन्तसिंह भरपुरसिंह त्रिलोचनसिंह पुत्र बलवन्तसिंह ब.हि.ब. 1.265 है. जाति जटसिख सा. देह खातेदार राहिन— जमाबन्दी बदस्तूर।

अप्रार्थीयों कास्तकारो में सहमति बंटवारा करने पर नामान्तकरण स. 357 दिंनाक 20.12.2010 को स्वीकृत हुआ। बरवक्त बंटवारा हरजिन्द्र सिंह वगैरा को मु.न.15 में 2.480 है व मु.न.20 में 0.379 कुल 2.859 है.नहरी मय खाला भूमि हिस्से प्राप्त हुई। परन्तू खातेदारो के हिस्से का मिलान नहीं किया गया। राजस्व रिकार्ड में जो पूर्व का हिस्सा दर्ज था उसी अनुसार राजस्व रिकार्ड अंकन कर दिया गया। वह हिस्सा 0.234 है. कम था।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थना पत्र मे अप्रार्थी संख्या 1 ता 5 कि नोटिस जारी किये गये अप्रार्थी संख्या 1 से 5 का अभिभाषक श्री ऋषि पाल उपस्थित आया अभिभाषक द्वारा अप्रार्थी स. 2 का मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया। आज रोज न्याय आपके द्वार कैम्प रोहिड़ावाली में अभिभाषक व अप्रार्थी उपस्थित आये, अभिभाषक द्वारा निवेदन किया गया कि उक्त बंटवारा आदेशो में मुझ अप्रार्थीयों को 2.625 है. भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो गई जो कि 2.659 है. भूमि का ही हकदार था।

चुँकि प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 1 व 5 के मध्य किसी भी प्रकार का विवाद नहीं है अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत बहस सुनी गई बहस में प्रार्थना पत्र के कथनों के दोहराते हुए प्रार्थना पत्र का निर्णय करनें हेतु निवेदन किया ।

हमने अप्रार्थी की ओर से पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया जाकर प्रस्तुत बहस पर मनन किया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

File No.:________

नम्बर मुकदमा 506/2017
सरकार बनाम हरजिन्द्रसिंह

अतः अप्रार्थी आपसी सहमति के आधार पर वर्णित कृषि भूमि मे हरजिन्द्रसिंह पुत्र हरदत्तसिह 1.471 है. जसवीर कौर पत्नी बलवन्तसिंह परमजीतकौर पुत्री बलवन्तसिंह भरपुरसिंह त्रिलोचनसिंह पुत्र बलवन्तसिंह ब.हि.ब.1.388 है दुरुस्त करवाने का अधिकारी है।

—::आदेश::—

अप्रार्थी संख्या 1 से 5 की सहमति के आधार पर चक— 8 क्यू पटवार क्षेत्र संगतपुरा तहसील व जिला श्री गंगानगर के खाता स. 83 के मु.न.15 में 2.480 है व मु.न.20 में 0.379 कुल 2.859 है नहरी मय खाला भूमि— हरजिन्द्रसिंह पुत्र हरदत्तसिह 1.471 है. जसवीर कौर पत्नी बलवन्तसिंह परमजीतकौर पुत्री बलवन्तसिंह भरपुरसिंह त्रिलोचनसिंह पुत्र बलवन्तसिंह ब. हि. ब.1.388 है दुरुस्त करने का आदेश दिया जाता है।

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को निर्णय की प्रति वास्ते पालनार्थ प्रेषित की जावे ।

निर्णय आज दिनाक 15.05.2018 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(यशपाल आहुजा)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
उपखण्ड श्रीगंगानगर
कैम्प रोहिड़ावाली